

Central Pension Accounting Office (CPAO)
Ministry of Finance, Department of Expenditure
Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

All Central Civil Pensioners are informed that **CPAO, M/o Finance, D/o Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place-110066** is going to organize a Pension Adalat, which will be held on **20th Sep, 2023** through video conferencing facility.

Therefore, all Central Civil Pensioners/Family Pensioners (except Railway, Defence, Post and Telegraph) may visit CPAO website <https://cpao.nic.in> to register their grievances or send their grievance duly filled in the prescribed format through e-mail to Sr. Accounts Officers, Grievance Cell at cccpao@nic.in or via post to this office by 08th September, 2023. The prescribed format is available at CPAO website. To participate in Pension Adalat, a link will be sent one day before the Pension Adalat on your registered mobile number or e-mail. The resolution of grievance registered will be done through this link via video conferencing facility in the Pension Adalat, to be organized on **20th September, 2023**. Kindly mention your PPO Number, Account Number, Contact Address and Mobile Number along with your grievance. If the grievance is being sent by post then "**Pension Adalat-2023 (VC)**" may be superscribed on the envelope.

(Chief Controller (Pensions))

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO)
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सभी केंद्रीय सिविल पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक पेंशन अदालत आयोजित करने जा रहा है जो कि दिनांक 20 सितंबर, 2023 को केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, त्रिकूट-II, नई दिल्ली-110066 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी।

अतः सभी केंद्रीय सिविल सेवानिवृत्त कर्मचारियों (रेलवे, रक्षा, पोस्ट और टेलीग्राफ को छोड़कर) से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायत CPAO वेबसाइट <https://cpao.nic.in> पर जाकर दर्ज कर सकते हैं या वरिष्ठ लेखा अधिकारी (शिकायत अनुभाग) को ई-मेल (cccpao@nic.in) अथवा डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में भरकर इस कार्यालय में दिनांक 08 सितंबर, 2023 तक भेज सकते हैं। निर्धारित प्रारूप CPAO वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर पेंशन अदालत के एक दिन पहले एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से पंजीकृत शिकायत का निवारण दिनांक 20 सितंबर, 2023 को आयोजित होने वाली पेंशन अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। कृपया अपनी शिकायत के साथ अपना पी. पी. ओ. संख्या, खाता संख्या, संपर्क का पता एवं दूरभाष संख्या जरूर प्रेषित करें। यदि शिकायत डाक द्वारा भेजी जा रही है तो बंद लिफाफे के शीर्ष पर 'पेंशन अदालत 2023 (वी. सी.) अभिलेखित करें।

मुख्य नियंत्रक (पेंशन)